

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा - 2079/रा०, पटना, दिनांक-27-08-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-पुरी परगना-बिहार, थाना नं०-333 थाना-बिहार, जिला नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् पावापुरी-घोसरावां पथ के कि०मी० 0 से 5.06 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-पुरी, थाना नं०-333 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 1.51 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०- 3153, 3154, 3158, 3159, 3160, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3209, 3210, 3236, 3237, 3254, 3255, 3259, 3278, 3280, 3316, 3317, 3319, 3338, 3339, 3343, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351 एवं 3445 सभी अंश।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- खण्ड "क" खेसरा सं० 3322 अंश, खण्ड "ख" खेसरा सं० 3322 अंश, खण्ड "ग" खेसरा सं० 3279 अंश, खण्ड "घ" खेसरा सं० 3211 एवं 3212 अंश तथा खण्ड "ङ" खेसरा सं० 3153, 3154 एवं 3156 सभी अंश

पूरब :- खण्ड "क" खेसरा सं० 3322 अंश, खण्ड "ख" खेसरा सं० 3320, 3319, 3317, 3316 एवं 3445 सभी अंश, खण्ड "ग" खेसरा सं० 3225 अंश, खण्ड "घ" खेसरा सं० 3211 अंश तथा खण्ड "ङ" खेसरा सं० 3158, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177 एवं 3178 सभी अंश।

दक्षिण :- खण्ड "क" खेसरा सं० 3359 अंश, खण्ड "ख" खेसरा सं० 3345 अंश, खण्ड "ग" खेसरा सं० 3280, 3278, 3255, 3259, 3254 एवं 3236 सभी अंश, खण्ड "घ" खेसरा सं० 3209 एवं 3210 अंश एवं खण्ड "ङ" खेसरा सं० 3160, 3159 एवं 3158 सभी अंश तथा सीवाना मौजा-दुर्गापुर थाना नं०-334

पश्चिम :- खण्ड "क" खेसरा सं० 3338, 3339, 3347 एवं 3349 सभी अंश, खण्ड "ख" खेसरा सं० 3322 अंश, खण्ड "ग" खेसरा सं० 3279 अंश, खण्ड "घ" खेसरा सं० 3212 अंश तथा खण्ड "ङ" खेसरा सं० 3158, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177 एवं 3178 सभी अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा

अपर समाहर्ता,
नालन्दा

समाहर्ता,
नालन्दा

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2079/डी0 एल0ए0- नालंदा, दिनांक 27-08-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालंदा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

OW
23/8/13
सरकार के सचिव